(7)

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक /जि0यो0–नलकूप/2011–12 दिनांक जुलाई20 2011

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2008 दिनांक 24.03.2008 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 497/जि0यो0/स्वी0/न0ख0रा0/14–13 दिनांक 02.07.2011 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 हेतु निम्न योजना की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

क0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	जारी प्रशासनिक स्वीकृति	वर्ष 2011.12 में जारी वित्तीय स्वीकृति
1	विकास खण्ड कोटाबाग के खेडा में 01 संख्या राजकीय नलकूप के निमार्ण की योजना।	₹ 82.44 लाख	₹ 65.00 लाख	₹ 20.15 लाख (₹ बीस लाख, पन्द्रह हजार मात्र)

1. जिलाधिकारी नैनीताल सुनिश्चित करेंगे कि योजना में उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा में बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति किये बिना आवंटित नहीं की जायेगी।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरक्षित आगणनों पर सक्षम स्तर से कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है।
5. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
6. धनराशि केवल उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिसके लिए शासन द्वारा धनावंटन किया गया है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यंय किया जाये तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की

जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायें।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
9. जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु योजना के लिए रू0 65.00 लाख अनुमोदित है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी जिला योजना समिति की बैठक में योजना की लागत रू0 82.44 लाख का अनुमोदन करवाना सुनिश्चित करें, तभी योजना हेतु लागत रू0 82.44 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना सम्भव होगा।
10. योजना निर्माण के संबंध में शासन से समय–समय पर जारी सभी शर्तों एवं नियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा। अवमुक्त धनराशि को शासन द्वारा निदृष्ट मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

ह0/–
(कुणाल शर्मा)
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

संख्या ४३५ / जि0यो0–नलकूप/2011–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
8. मुख्य अभियन्ता (उत्तर), सिंचाई विभाग हल्द्वानी।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल हल्द्वानी।
10. अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रामनगर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
12. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन सचिवालय देहरादून।
14. अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल।
15. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
16. गार्ड फाईल।

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल।